B-2
L-26
I. Polity

उदारीकरण के दौर में निदेशक तत्व

निदेशक तत्व :-

- निदेशक तत्व में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा भौतिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया जायेगा, जिनका प्रयोग समुदाय के हितों के लिए होगा और संपत्ति के केन्द्रीकरण को प्रतिबंधित किया जाएगा। (अनुच्छेद 39 B एवं 39(C))
- 1991 के बाद उदारीकरण निजीकरण की नीति अपनाई गई है जिससे न केवल राज्य पर विभिन्न उद्योगों का नियंत्रण हो गया है अपितु शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी निजी व्यक्तियों का नियंत्रण स्थापित हो गया है।
- निदेशक तत्वों में व्यक्ति को काम का अधिकार दिया गया है (अनुच्छेद 41) जबकि निजीकरण के दौर में कंपनियों के द्वारा "हायर और फायर" की नीति अपनी जा रही है।
- निदेशक तत्व में बूढ़ों, बच्चों, श्रमिकों के कल्याण की बात की गयी है जबकि निजीकरण की प्रवृत्ति सामाजिक न्याय के बजाय लाभ से प्रेरित होती है।
- वास्तविक मुद्दा यह है कि पूँजीवाद अथवा समाजवाद एक साधन है और चीन जैसे समाजवादी देश ने भी यह मान लिया है कि पूँजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

भारत में उदारीकरण और निजीकरण इसलिए अपनाया गया ताकि राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि की जा सके तथा उन संसाधनों का प्रयोग वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जा सके।

- राज्य का मूल उद्देश्य आज भी सामाजिक न्याय या आम जनता का कल्याण है। जिसके लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रत्येक राज्य AIIMS की स्थापना की जा रही है और जैसे-जैसे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी भी दी जाएगी।

* निदेशक तत्वों के लिए संविधान संशोधन :-

पहला, चौथा, सत्रहवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, बयालीसवां, चौवालीसवां, तिहत्तरवां, 86वां, 93वां, 102वां, 106वां इत्यादि।

- डॉ. अम्बेडकर का यह कथन अत्यधिक प्रासंगिक है कि भारत में कोई भी निर्वाचित सरकार यदि दोबारा सत्ता में आना चाहती है तो वह निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है।

निदेशक तत्व और न्यायालय की व्याख्या :

- मिनर्वा मिल्स वाद से यह मान्यता पूर्णतया स्थापित हो गयी कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं या दोनों में सामंजस्य बना हुआ है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं

Scanned by CamScanner

के दौर में जिस प्रकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन के अधिकार का विस्तार किया उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आजीविका पर्यावरण के अधिकार भी शामिल हो गए जिससे यह प्रतीत होता है कि फिलहाल निदेशक तत्व मूल अधिकार का ही विस्तार हैं।

अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसमें संघर्ष के विचार को देखना उचित नहीं है।

निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य की बीज या रेवड़ी।

सशक्तिकरण :

- संविधान के निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आधार विद्यमान है परन्तु हाल की प्रवृत्ति से यह प्रतीत होता है कि रेवड़ी कल्चर दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है और कल्याणकारी सुविधाओं में शिक्षा स्वास्थ्य, आवास और भोजन निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए परन्तु मुफ्त बिजली, पानी, कम्प्यूटर, गैस, मोबाइल, लैपटॉप देना फ्रीबीज का उदाहरण है।
- समकालीन समय में कल्याण के साथ-साथ जनता के सशक्तिकरण पर समानांतर बल दिया जा रहा है और मुद्रा योजना उसका उदाहरण है जहाँ उद्यमियों को उद्यम हेतु ऋण दिया जा रहा है और इसी वर्ष लखपती दीदी योजना का भी निर्माण किया गया है जिससे महिलाओं को भी

Scanned by CamScanner

आत्म निर्भर बनाया जा सके स्टार्टप कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है।

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता :-

- संविधान के अनुच्छेद 44 में ये उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जायेगा और यदि संसद समान नागरिक संहिता का निर्माण करती है तो यह समूचे भारतीय क्षेत्र में लागू होगा जबकि राज्यों के द्वारा निर्मित विधि राज्य के भू-भाग तक ही सीमित होगी।
- उच्चतम न्यायालय के द्वारा शाहबानो वाद, सरला-मुदगलवाद में राज्य को यह निर्देश दिया कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करें।
- शायराबानो वाद में उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक के प्रावधान "तलाक-ए-बिद्दत" को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

KCS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner